

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

श्री भेंवर लाल श्रीमाली ग्राम व पंचायत कानादेव का गुडा, पो0 फरारा तह0 जिला राजसमन्द  
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 46/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><b>दिनांक 02.11.2021</b></p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: कोष/राज./आरटीआई/21-22/09 दिनांक 22.10.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में राज्य के बाहर रेफरल अस्पतालों की सूची <a href="http://www.finance.rajasthan.gov.in">www.finance.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं। परन्तु अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित सूची मांगी हैं। उक्त अधिकारिक बेबसाइट में उपलब्ध सूची में आज दिनांक को 15 रेफरल अस्पतालों की सूची दी गई हैं। 15 अस्पतालों में से 14 अस्पतालों को वित्त विभाग ने आदेश क्रमांक F.6 (rules)/ 2013 pt - II jaipur Dated :- 12-03-2015 और अन्य 1 अस्पताल को आदेश क्रमांक F.6 (rules)/2013 pt - II jaipur Dated :- 12-03-2015 से अधिकृत किया हैं। उक्त सूची श्रीमान शासन सचिव वित्त के द्वारा हस्ताक्षरित हैं जिसको प्रतिहस्ताक्षरित की कोई आवश्यकता नही हैं। रेफरल अस्पतालों में इलाज पर पुर्नभरण हेतु दस्तावेजों की सूची राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2013 के नियम 18(IV) में उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार In case treatment is taken in referral hospital, a Government servent is required to attach Essentially Certificate in duplicate in the Form prescribe in Annesure - VII, cash memo/ bill for purchase of medicines and other items, relevant certificates required under rules duly verified and signed by doctor on duty of that hospital or countersigned by the Authorised Medical Attendant of Government hospital on whose advice the treatment outside the state was taken, under his/her official stamp and self attasted copy of outdoor prescription slip in support of reimbursement claim. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियासती योजना 2014 के नियम 4 के तहत पेंशनर्स पर राजस्थान सिविल सेवा</p>	



M

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

श्री भँवर लाल श्रीमाली ग्राम व पंचायत कानादेव का गुडा, पो0 फरारा तह0 जिला राजसमन्द  
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 46/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 02.11.2021</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: कोष/राज./आरटीआई/21-22/09 दिनांक 22.10.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में राज्य के बाहर रेफरल अस्पतालों की सूची <a href="http://www.finance.rajasthan.gov.in">www.finance.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध हैं। परन्तु अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित सूची मांगी हैं। उक्त अधिकारिक बेबसाइट में उपलब्ध सूची में आज दिनांक को 15 रेफरल अस्पतालों की सूची दी गई हैं। 15 अस्पतालों में से 14 अस्पतालों को वित्त विभाग ने आदेश क्रमांक F.6 (rules)/ 2013 pt - II jaipur Dated :- 12-03-2015 और अन्य 1 अस्पताल को आदेश क्रमांक F.6 (rules)/2013 pt - II jaipur Dated :- 12-03-2015 से अधिकृत किया हैं। उक्त सूची श्रीमान शासन सचिव वित्त के द्वारा हस्ताक्षरित हैं जिसको प्रतिहस्ताक्षरित की कोई आवश्यकता नही हैं। रेफरल अस्पतालों में इलाज पर पुर्नभरण हेतु दस्तावेजों की सूची राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम 2013 के नियम 18(IV) में उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार In case treatment is taken in referral hospital, a Government servent is required to attach Essentially Certificate in duplicate in the Form prescribe in Annesure - VII, cash memo/ bill for purchase of medicines and other items, relevant certificates required under rules duly verified and signed by doctor on duty of that hospital or countersigned by the Authorised Medical Attendant of Government hospital on whose advice the treatment outside the state was taken, under his/her official stamp and self attasted copy of outdoor prescription slip in support of reimbursement claim. राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियासती योजना 2014 के नियम 4 के तहत पेंशनर्स पर राजस्थान सिविल सेवा</p>	



M